डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

नई दिल्ली, दिनांक : 23.03.2021

सं. 2020/HQ/Admin/RTI-610

श्री विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी
पुत्र स्वर्गीय गिरधारी लाल त्रिपाठी
37, मालवीय नगर,
ऐश बाग़, लखनऊ-226004
मो.-8960606098

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत प्राप्त अपील आवेदन का निस्तारण।

संदर्भ: 1. सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत प्राप्त आपका आवेदन दिनांक 18.07.2020, जो जन सूचना अधिकारी /DFCCIL के कार्यालय में दिनांक 07.08.2020 को प्राप्त हुआ ।

2. जन सूचना अधिकारी /DFCCIL के द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.08.2020 के साथ उपलब्ध कराई गई सूचना।

3. आपका अपील पत्र दिनांक 16.09.2020, जो DFCCIL कार्यालय में दिनांक 21.09.2020 को प्राप्त हुआ ।

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत प्राप्त आपका आवेदन दिनांक 18.07.2020, जो जन सूचना अधिकारी /DFCCIL के कार्यालय में दिनांक 07.08.2020 को प्राप्त हुआ, के द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचना, आपको इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.08.2020 के साथ उपलब्ध कराई गई। आपने प्रथम अपील आवेदन के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी एवं भ्रामक होने की बात की है। इसे संबंधित विभाग से पुनः जाँच कराई गई, एवं यह पाया गया कि आपको उपलब्ध कराई गई बिन्दुवार सूचना, संबंधित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख पर आधारित है। जिसमे किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता है।

पुनः आपके आवेदन पत्र दिनांक 17.09.2020,19.10.2020 एवं 19.11.2020 के संदर्भ में, आपके मूल आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2020 कि प्रतिलिपि एवं 20 रू का भारतीय पोस्टल आर्डर (सं. 46F 305083 & 46F 305084) कि मूल प्रति, इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।

आशा है कि आप स्थिति से सहमत होंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

(आर. पी. छिब्बर)
समूह महाप्रबंधक /प्रशासन
(अपीलीय प्राधिकारी)

पंजीकृत

सूचना का अधिकार- अधिनियम-2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध

सेवा में,

राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम और कार्यालय का पता श्रीमान उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० 117/एच-2/18 पाण्डुनगर कानपुर 208005 रेल मंत्रालय, भारत सरकार,

1. आवेदक का पूरा नाम विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी
2. पिता/पति का नाम स्व० गिरधारी लाल त्रिपाठी
3. पता 37 मालवीय नगर, ऐशबाग, लखनऊ 226004
4. ई-मेल पता, यदि कोई हो नहीं
5. दूरभाष संख्या और/या मोबाइल संख्या 8960606098
6. माँगी गयी सूचना का ब्यौरा (यदि आवश्यक हो तो पृथक भी संलग्न करें) संलग्नक-1 के अनुसार
7. क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता से सम्बन्धित है हाँ/नहीं यदि 'हाँ' तो उसका कारण नहीं
8. जमा की गयी फीस का ब्यौरा भारतीय पोस्टल आर्डर रु 20/संलग्न 24G 761830
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल) की श्रेणी का है? हाँ/नहीं (यदि हाँ तो बी.पी.एल. प्रमाण पत्र संलग्न करें)
10. संलग्नकों की सूची 1. संलग्नक-1 2. Postal order Rs 20/-24G-761830

स्थानः लखनऊ

दिनांकः 18-07-2020

वि.ना. त्रिपाठी
आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पावती

श्री.................................निवासी.................................से दिनांक.....................को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना की माँग हेतु आवेदन पत्र जो क्रमांक.............पर पंजीकृत है, प्राप्त किया।

दिनांकः ....

राज्य लोक सूचना अधिकारी
हस्ताक्षर और पूरा नाम

प्राधिकारिक मुद्रा

संलग्न -1

ग्राम खम्हैला (फाटक सं. 100सी), तहसील डेरापुर, जनपद कानपुर देहात में डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर की मालभाड़ा परियोजना के अन्तर्गत ग्राम की आबादी से समपार को जोड़ने के लिये ग्राम की आबादी की मुख्य सड़क की तरफ निर्माणाधीन अधोगामी समपार के सम्बन्ध में निम्नवत् बिन्दुवार सूचना वांछित है।

1. रेलवे फाटक सं. 100सी से ग्राम की आबादी की तरफ मुख्य सी.सी. रोड, राजस्व अभिलेखों के अनुसार कितनी चौड़ी है। सूचना वांछित है।
2. रेलवे फाटक सं. 100सी से गांव की आबादी की तरफ निर्माणाधीन अधोगामी समपार का मार्गदर्शक मानचित्र/साईट प्लान (नक्शा नज़री) तथा जिन सम्पत्तियों पर निर्माण होना है का पूर्ण मानचित्र, पक्षकारों के नाम, मकान नम्बर, साईट स्थिति मुख्य रोड दर्शाते हुये। वांछित है।
3. निर्माणाधीन अधोगामी समपार में बारिश के कारण जल भराव के सुनिश्चित निष्तारण की क्या कार्ययोजना/व्यवस्था है। सूचना वांछित है।
4. निर्माणाधीन अधोगामी समपार में अंधेरे के निराकरण के लिये रोशनी की क्या व्यवस्था/प्राविधान है। अन्यथा की स्थिति में जन मानस व वाहनों के आने जाने में होने वाली भारी कठिनाई के साथ भीषण दुर्घटना की सम्भावना के निराकरण की कोई कार्ययोजना है कि नहीं। स्पष्ट सूचना वांछित है।
5. निर्माणाधीन अधोगामी समपार के लिये प्रभावित भूमि पर (जिसका आवंटन या पट्टा पक्षकारों को नहीं हुआ) ऐसे लोगों को भू पर स्थित सिर्फ भवन/परि सम्पत्ति का प्रतिकर देय धनराशि की नोटिस देते हुये सूचित किया गया है कि उनको काबिज भूमि का प्रतिकर नियमानुसार देय नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् सूचना वांछित है।
   - क. कथित नियम/कानून की धारा जिसके अन्तर्गत सिर्फ परिसम्पत्ति का प्रतिकर देय है। सूचना वांछित।
   - ख. प्रभावित गृह स्थलों के विद्यमान स्वामियों का पुश्तैनी निवास स्थल है अतः विधिक (कानून) के प्राविधान उ.प्र. राजस्व संहिता 2016 की धारा 67(क) तथा राजस्व नियमावली 2016 के नियम 68 के अनुसार गृह स्थलों के विद्यमान स्वामी भू स्थल और उस पर स्थित भवन/परिसम्पत्ति के विधिक रूप से स्वामी हैं और प्रतिकार भुगतान के अधिकारी हैं। अतः सूचित करने की कृपा करें कि उक्त विधिक प्राविधान विषयगत परिपेक्ष में प्रयोज्य है कि नहीं और उसी अनुसार भू स्थल का भुगतान देय है कि नहीं। स्पष्ट सूचना वांछित है।
6. प्रभावित लोगों को निर्मित भवन/परि सम्पत्ति के कुल देय प्रतिकर का निर्धारण 100 प्रतिशत सोलोशियम सहित कुल देय धनराशि की नोटिस दी गयी है। लेकिन कथित सोलोशियम को परिभाषित या उसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत का अतिरिक्त निर्धारण किस आधार और नियम के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस सम्बन्ध पूर्ण और स्पष्ट सूचना स्पष्टीकरण सहित देने का अनुरोध है।

विषयगत अधिनियम के अन्तर्गत वांछित सूचना अभिलेखों सहित, विहित समयसीमा 30 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का अनुरोध है। यदि वह किसी अन्य लोक अधिकारी द्वारा धारित है, तो अधिनियम की धारा–6(3) के अन्तर्गत अन्तरण करके सुनिश्चित उपलब्ध कराने की कृपा करें।

वांछित फीस रू. 10/– एवं अभिलेख हेतु अतिरिक्त फीस रु. 10/– कुल धनराशि रु. 20/– का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 24जी761830 संलग्न।

दिनांक : 18.7.2020

लखनऊ

निवेदक

18/7/2

(विश्वभरनाथ त्रिपाठी)